डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि० / शैक्ष० /10079/ 2017 दिनांक: 13.11.2017

अधिसूचना

एतद्द्वारा विश्वविद्यालय की विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम परिनियमावली–2004 (संशोधित–2015) को विधि अध्ययन बोर्ड एवं विधि संकाय बोर्ड की संस्तुति पर निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:–

1. पूर्व नियमावली, 2004 के बिन्दु संख्या (2) में विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सम्बन्धी नियम को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकतम आयु की बाध्यता को समाप्त किया जाता हैं।

2. पूर्व नियमावली, 2004 के बिन्दु संख्या (3) को सत्र 2009–10 से ही निरस्त किया जा चुका हैं।

3. पूर्व नियमावली, 2004 में संशोधन कर तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु कम से कम 08 (आठ) प्रश्नपत्रों को 07 (सात) किया जाता हैं। इसी प्रकार सप्तम एवं नवम् सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु कम से कम 08 (आठ) प्रश्नपत्रों की संख्या 07 (सात) किया जाता हैं।

4. पूर्व नियमावली, 2004 को संशोधित कर पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण अथवा प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण तथा तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में न्यूनतम 07 (सात) प्रश्नपत्रों में 45 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक किया जाता हैं।

5. पूर्व नियमावली, 2004 के बिन्दु संख्या (1) में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम अवधि को 08 (आठ) वर्ष के स्थान पर 10 (दस) वर्ष में उत्तीर्ण करना निर्धारित किया जाता हैं।

विधि अध्ययन बोर्ड एवं विधि संकाय बोर्ड द्वारा संस्तुत उक्त संशोधन सत्र 2014–15 से प्रभावी होंगे जिसका विद्यापरिषद की बैठक दिनॉक 16.08.2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनॉक 17.8.2017 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। सक्षम समितियों के निर्णयानुसार उक्त संशोधन सत्र 2014–15 सत्र से प्रभावी होगा।

सहा०कुलसचिव(शैक्षणिक)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय।
2. परीक्षा नियंत्रक / सहायक कुलसचिव (परीक्षा)।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. आशुलिपिक कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

सहा०कुलसचिव(शैक्षणिक)